छत्तीसगढ़ राज्य

के

लोक निर्माण विभाग की

कार्य प्रणाली का

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष **20**18-19

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर

प्राक्कथन

लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है । विभाग के वित्तीय-प्रबंधन के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता/आहरण एवं संवितरण अधिकारी उत्तरदायी हैं एवं लोक निर्माण विभाग के राजस्व की प्राप्ति व भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तरदायित्व का सही रूप से निर्वहन हो, इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ तथा प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। कार्यप्रणाली को और सुगम/उत्कृष्ट बनाने हेतु समय-समय पर आदेश भी जारी किए जाते हैं। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा प्रति वर्ष की भांति लोक निर्माण विभाग के कार्यप्रणाली, नियम एवं प्रक्रियाओं के पालन में पाई जाने वाली त्रुटियों/कमियों को राज्य शासन के ध्यान में लाने हेतु वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

वर्ष 2018-19 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। भाग- एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित मासिक लेखाओं की जांच के दौरान पाई गई कमियों/त्रुटियों/अनियमितताओं को दर्शाया गया है एवं भाग- दो में लोक निर्माण विभाग कार्यालयों की लेखा-परीक्षा के दौरान उनकी कार्य प्रणाली से संबंधित परिलक्षित हुई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली में नियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करनें में, मासिक लेखा निर्धारित अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित कराने तथा अंक मिलान कार्य को नियमानुसार अंतराल में पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन अनियमितताओं को दूर करने एवं मासिक लेखा/अन्य जानकारियाँ समय पर प्रस्तुत करने में सहायक होगा । हम इस समीक्षा की अभिवृद्धि के लिए सुझावों/संस्तुतियों का स्वागत करते हैं।

स्थान – रायपुर हस्ता/-

दिनांक - (राजीव कुमार)

महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी)

छत्तीसगढ़, रायपुर

समीक्षा का संक्षिप्त विवरण

प्रस्तुत समीक्षा में छत्तीसगढ़ के **57** लोक निर्माण संभाग सम्मिलित हैं, जो महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) छत्तीसगढ़ को मासिक लेखा प्रेषित करते हैं । मासिक लेखाओं के संकलन के दौरान जो अशुद्धियां पाई गई हैं, उन्हें क्रमवार

इस समीक्षा पुस्तक में विस्तार से दर्शाया गया है । दिनांक **31.03.1**9 की स्थिति में समीक्षा में सम्मिलित कुछ अशुद्धियों/ आपत्तियों का सार निम्न है–

1. विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में राशि ₹ **66.05** करोड़ समायोजन हेतु लंबित है, जिसकी संभागवार जानकारी **Annexure A** में दर्शाई गई है । इन अग्रिमों के समायोजन हेतु संभागों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखे में राशि ₹ **28.37** करोड़ लंबित है, जिसे सामग्री के सप्लायर्स को भुगतान किया जाना है । उक्त शीर्ष के अन्तर्गत लंबित राशि के भुगतान हेतु संभागों द्वारा ठोस कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (संभागवार सूची को Annexure B में दर्शाया गया है) ।

3. निर्माण लेखा प्रेषण शीर्ष में निवल राशि ₹ **103.21** करोड़ (जिसमे लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग भी शामिल है) समायोजन हेतु लंबित है । यह राशि मुख्यतः संभागों/कोषालयों द्वारा चालानों/धनादेशों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण असमायोजित रही है ।

वर्ष 2018-19

प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग का संरचनात्मक विवरण

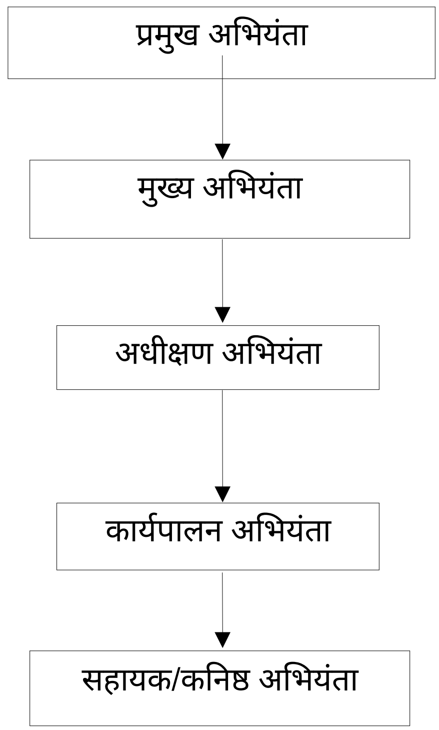

सामान्य

लेखा का कम्प्यूटरीकरण :- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) छत्तीसगढ़, रायपुर को लोक निर्माण संभागों द्वारा संकलित प्रारूप (मेनुअल) में लेखा प्रस्तुत किया जाता है । प्रत्येक माह लोक निर्माण लेखा संभागों द्वारा प्रेषित संकलित लेखाओं को इस कार्यालय की कम्प्यूटर प्रणाली व्ही. एल. सी. में मेनुअल दर्ज़ किया जाता है । लोक निर्माण संभागों के लेखों को मेनुअल संधारण किए जाने के कारण अनावश्यक समय प्रयुक्त होता है, जबकि अन्य विभागों के लेखे इस कार्यालय में एन. आई.सी. द्वारा विकसित प्रक्रिया के अनुसार समस्त कोषालयों से फरवरी **2010** से डिजिटल डाटा के रूप में प्राप्त हो रहे हैं । डिजिटल डाटा के द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना एवं वित्तीय आंकड़े प्राप्त करना सुगम है ।

अनुशंसा:- छत्तीसगढ़ शासन के अन्य विभागों की तरह लोक निर्माण विभाग के लेखांकन कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया जावे, जिससे लेखाओं को त्वरित उत्पादित किया जाना सुगम होगा ।

भाग – एक (लेखा)

महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) कार्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग के संभागों का लेखा एवं कार्यचालन से संबन्धित वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक समीक्षा की गई । इस समीक्षा में संभागों द्वारा भेजे गए मासिक लेखे की कमियों, विविध लोक निर्माण अग्रिमों का असमायोजित रहना, निर्धारित प्रपत्रों में वांछित जानकारी नहीं भेजा जाना,

नियमानुसार मासिक लेखा संवरण नहीं किया जाना एवं प्रत्येक माह की दस तारीख की निर्धारित तिथि तक मासिक लेखा प्रेषित नहीं किया जाना इत्यादि के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(1) **<u>प्राप्त आवंटन के अंतर्गत बचत</u>** :- लोक निर्माण संभागों में छः अनुदानों **(24**, 42, 64, 67, 68 एवं 76**)** में बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में बजट प्रावधान का सम्पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, फलतः बचत की प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दृष्टिगोचर हो रही है**:-**

(राशि लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2016-17	56948.04	55913.09	1034.95	01.82
2017-18	1207413.21	899155.69	308257.52	25.53
2018-19	660260.07	462717.46	197542.61	29.92

(2) **<u>प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय</u>** :- विनियोग विधेयक के अनुसार बजट प्रावधान स्वीकृत होने के पश्चात प्रमुख अभियंता अपने अधीनस्थ मुख्य अभियंताओं को तथा मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ संभागों को बजट प्रावधान सूचित करता है, जिसके अनुसार संभागों द्वारा विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है । इसके अतिरिक्त कतिपय योजनाओं में मूल बजट प्रावधान कम होने की स्थिति में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन किया जाता है। विनियोग लेखा के अनुसार वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित योजनाओं में व्यय स्वीकृत आवंटन से अधिक था, जिसकी पूर्ति अनुपूरक बजट अथवा पूर्ण रूप से पुनर्विनियोजन द्वारा नहीं की गयी, जो कि आपत्तिजनक है एवं कमजोर बजट नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

(राशि लाख में)

वर्ष	मांग सं.	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक व नाम	निवल बजट(मूल बजट+अनुपूरक बजट (+/-)पुनर्विनियोजन)	व्यय	आधिक्य
2018-19	**24**	**3054**	**03-01-337-134(**मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स-साधारण **)**	**1282.14 (3190.00-1907.86)**	**1335.00**	**52.86**

(बजट में अधिक व्यय दोषपूर्ण बजट नियंत्रण प्रणाली को प्रदर्शित करता है, जिसमें सुधार आवश्यक है ।)

(3) **<u>विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में असमायोजित राशि ₹ 66.05 करोड़</u>:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य लेखा संहिता कंडिका **13.4.1** के अनुसार विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत ठेकेदारों को उधार बिक्री, जमा कार्य हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय, नगद की हानि, शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि एवं ऐसे व्यय, जो किसी मद में वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, सम्मिलित होते हैं । इनकी वसूली संभाग द्वारा किया जाना है। वर्ष 2018-19 के अंत तक विविध लोक निर्माण अग्रिम मद में 42 संभागों के अंतर्गत रु 66.05 करोड़ समायोजन हेतु लंबित है, जिनमें कई संभागों, *विशेषतः एनएच संभाग रायपुर, बी/आर संभाग जगदलपुर, बी/आर संभाग कोरबा, सेतु संभाग रायपुर, बी/आर संभाग बालोद, बी/आर संभाग रामानुजगंज, सेतु संभाग रायगढ़ इत्यादि उल्लेखनीय है,* के अंतर्गत पूर्व वर्ष की लंबित राशियाँ वर्ष **2018-1**9 में भी अपरिवर्तित/यथावत रही है। राशियों की वसूली वर्ष **2018-19** में नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि संभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व

की हानि हो रही है । (संभागों की सूची Annexure-A में दर्शायी गयी है) । अतः संभागों को उक्त अग्रिमों के समायोजन की कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश जारी कर समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे ।

(4) **<u>सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखा</u>:-**

सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखे हेतु शासकीय लेखे में पृथक लेखा शीर्ष **8658-129** का प्रावधान किया गया है । इस लेखा शीर्ष में संभागों द्वारा क्रय अथवा अंतर-संभागीय अंतरण द्वारा प्राप्त की गयी सामग्री, जिसका भुगतान क्रय किए गए माह में नहीं किया गया है, से संबंधित संव्यवहारों को दर्ज़ किया जाता है । इस बाबत संभागों के लेखों के साथ प्रपत्र**-69** संलग्न किया जाना चाहिए, जिसमें संभागों में लंबित भुगतान की जानकारी को दर्शाया जाना चाहिए ।

प्राय: कई वर्षों से सामग्री क्रय परिशोधन उचंत लेखा में संभागों द्वारा कोई प्रविष्टि नहीं की जाती रही है, लेकिन *NH Dn. Jagdalpur, B/R Dn. Bijapur, B/R Dn. Raigarh, B/R Dn. Jashpur* एवं *Bridge Dn. Raipur* द्वारा वर्ष **2018-19** में राशि दर्ज की गयी है । संभागों द्वारा इनका समाशोधन लंबित राशियों का भुगतान कर किया जाना है एवं नियमानुसार ऐसी राशियाँ जिन पर तीन पूर्ण वर्षों से अधिक समय तक दावा न किया गया हो, उन राशियों को राजस्व में क्रेडिट कर समाशोधित करना है । वर्ष 2018-19 के दौरान संभागों द्वारा उपरोक्तानुसार समाशोधन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जो संतोषप्रद नहीं है ।

वर्ष 2018-19 के अंत तक संभागों द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार ₹ 28.37 करोड़ इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत लंबित है, जिसकी संभागवार जानकारी Annexure-B में दर्शायी गयी है । कृपया इस मद में लंबित राशि के समायोजन हेतु समस्त संभागों को उचित निर्देश जारी किया जावे ।

(5) **<u>प्राप्ति एवं व्यय आंकड़ों के पुनर्मिलान</u>:-**

लोक निर्माण संभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी प्रमुख अभियंता है । लेखांकन प्रक्रिया में पुनर्मिलान एक महत्वपूर्ण कार्य है । प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों के पुनर्मिलान हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह दर्ज की जा रही आय एवं व्यय के आंकड़ों की सी. डी. प्रमुख अभियंता को प्रेषित किया जाता है । पुनर्मिलान उपरांत प्रमुख अभियंता से मिलान प्रमाण पत्र मय राशि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाना चाहिए, किन्तु बार-बार स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी प्रमुख अभियंता द्वारा मिलान प्रमाण-पत्र (राशि-सहित) वर्ष 2018-19 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ को प्रेषित नहीं किया गया । पुनर्मिलान न होने की स्थिति में गलत वर्गीकरण, बिना बजट के व्यय आदि का पता नहीं चलता, अतः प्रमुख अभियंता को प्राप्ति एवं व्यय आंकड़ों के पुनर्मिलान जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं मिलान प्रमाण-पत्र (राशि-सहित) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ को नियमित रूप से प्रेषित करना चाहिए ।

(6) **<u>कर्मकार टैक्स की राशि का छत्तीसगढ़ भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के खाते में अनियमित रूप से जमा किया जाना</u>** :-

संभागों द्वारा निर्माण कार्यों से संबन्धित देयकों से काटी गयी कर्मकार टैक्स की राशि नियमानुसार नियमित रूप से छत्तीसगढ़ भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के खाते में जमा करना चाहिए, किन्तु समीक्षा में पाया गया है कि काटी गयी राशि संभागों द्वारा अपने पास ही रखी जा रही है एवं अनियमित अंतराल पर मण्डल के खाते में जमा की जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है । अतः उक्त राशि संभागों द्वारा मण्डल के खाते में नियमानुसार नियमित रूप से जमा किए जाने हेतु समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित करें।

(7) **मासिक लेखा विलंब से प्राप्त होना:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की पैरा **22.4.15** के अनुसार संभागों से मासिक लेखा इस कार्यालय में प्रतिमाह **10** तारीख तक प्राप्त हो जाना चाहिए । संभागों से लेखा विलंब से प्राप्त होने के कारण राज्य शासन के लेखा संकलन में विलंब होता है । इस संदर्भ में उल्लेख है कि अधिकांश संभागों द्वारा मासिक लेखा कम से कम **01** एवं अधिक से अधिक **12** दिनों तक के विलंब से प्राप्त हुये, जिसकी जानकारी को Annexure-C में दर्शाया गया है। अतः लेखा नियत तिथि तक भेजने हेतु समस्त कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित करें ।

(8) **मासिक लेखों में पाई गई कमियाँ/ त्रुटियाँ:-**

प्रतिमाह मासिक लेखे प्रेषित करते समय केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.4.15** में दिये गए अनुसार विभिन्न फार्म लेखे के साथ संलग्न किया जाना चाहिए । संभाग द्वारा प्रेषित मासिक लेखों में निम्नलिखित कमियाँ बार-बार पाई जाती हैं, किन्तु इनके निराकरण हेतु संभाग द्वारा कोई रुचि नहीं ली जाती है:-

(i) कतिपय लेखों में पन्नों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित नहीं रहता है ।

(ii) फार्म **83** में संलग्न किए गए विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी रहती है, किन्तु इन प्रपत्रों का पृष्ठ क्रमांक के साथ cross referencing नहीं किया जाता है, जिसके कारण लेखाओं की प्रारंभिक जांच करने में असुविधा एवं विलंब होता है।

(iii) लेखों के वर्गीकरण में त्रुटियाँ रहती हैं । मुख्यतः त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण प्रेषण शीर्ष के चालानों में किया जाता है । इन चालानों में संभागों द्वारा **8782-102** अंकित नहीं रहता है तथा डी. डी. ओ. कोड नहीं दर्शाया जाता है ।

(iv) फार्म **80** में कैश बैलेंस के पूर्व शेष/अंतशेष की जानकारी दर्शाई जाती है । कतिपय लेखों में पूर्व माह के अंतशेष एवं आगामी माह के प्रारंभिक शेष में अंतर रहता है, जिसके कारण लेखाओं के संकलन में विलंब होता है ।

(v) कतिपय लेखों के फार्म **80** में प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों में अंतर रहता है ।

(vi) फार्म **74**, जिसमें मुख्य शीर्ष/योजना शीर्षवार संकलन व्यय दर्शाया जाता है, के आंकड़ें फार्म **64** से मिलने चाहिए । कतिपय लेखा में इन दोनों प्रपत्रों के आकड़ों में अंतर रहता है ।

(vii) कतिपय लेखों के साथ प्राप्तियों का विवरण (Form-**46-**A) संलग्न नहीं किया जाता है ।

(viii) Form-80 में दर्शाया गया प्रेषण शीर्ष की राशियों के तिथिवार विवरण (प्रपत्र**-77**) संलग्न नही किया जाता है, जिसके कारण कोषालय से प्राप्त प्रेषण शीर्ष को सहायक पंजी से मिलान करने में असुविधा होती है ।

(ix) देयकों से काटी गयी कर की राशि विभिन्न संभागों द्वारा विविध जमा में बताई जाती है, जिससे यह पता नहीं चलता कि यह राशि किससे संबंधित है, अतः प्रपत्र **79** में कर की राशि को अलग-अलग जमा (Cr) एवं नामे (Dr) में दर्शाया जाना चाहिए ।

(x) प्रतिमाह कोषालयों से संभाग द्वारा Consolidated Treasury Receipt एवं Cheque Issue Certificate प्राप्त नहीं किया जाता । फलतः संभागों द्वारा कोषालय को किए गए प्रेषण का नियमित पुनर्मिलान संभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण प्रेषण की कई पुरानी राशियाँ असमायोजित पड़ीं हुई हैं एवं संभाग द्वारा नियमित रूप से फार्म**-51** का प्रेषण नहीं किया जाता है ।

(xi) Petty Payment के संबंध में वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, जबकि इसके अंतर्गत लेखे में कई बार काफी बड़ी राशि दर्ज़ की जाती है ।

(xii) लेखों में संभाग का पता, दूरभाष तथा फ़ैक्स क्रमांक नहीं दर्शाया जाता है ।

उपरोक्त कमियों की पुनरावृति न हो इस हेतु समस्त संभागों को निर्देशित करें ।

(9) **फार्म**-51- **कोषालय के साथ मासिक समाशोधन लेखा:-**

संभाग द्वारा कोषालय को प्रेषित किए जा रहे चालान एवं जारी किए गए चेकों के निराकरण के संबंध में पुनर्मिलान, संभाग को कोषालय से CTR (Consolidated Treasury Receipt) एवं CIC (Cheque Issue Certificate) प्राप्त कर करना होता है एवं उसके आधार पर फ़ॉर्म**-51** तैयार कर केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता की पैरा **22.4.15** के अनुसार संभागों द्वारा प्रत्येक माह मासिक लेखे के साथ फार्म**-51** संलग्न कर भेजना चाहिए । लेखे के साथ फार्म**-51** संलग्न नहीं होने के कारण कितनी संख्या में धनादेश/चालान बैंक में प्रस्तुत किए गए, किन्तु कोषालय द्वारा **8782-102** के अंतर्गत वर्गीकृत नही किया गया, की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है तथा प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत संभागों द्वारा संकलित राशि के लंबित होने की संभावना रहती है । वर्ष 2018-19 में जिन संभागों द्वारा मासिक लेखा के साथ फार्म**-51** संलग्न नहीं किए गए, इन संभागों की जानकारी को Annexure-D में दर्शाया गया है।

संभाग द्वारा प्रेषित किए जा रहे फार्म**-51** में चालान एवं चेक की राशियाँ असमायोजित पड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश संभागों में राशियाँ पुराने समय से चली आ रही हैं, जिनके निराकरण हेतु संभाग द्वारा विशेष रुचि नहीं ली जाती है, इसकी जानकारी क्रमश: **Annexure-E-I** एवं **E-II** में दी गयी है । इनका निराकरण संभाग द्वारा ही किया जाना है । जिन संभागों से फ़ॉर्म**-51** प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान समाशोधित न हुई राशियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है **:-**

चालान के संबंध में	
असमायोजन के कारण	राशि(रुपयों में)
संभागों द्वारा चालान के माध्यम से प्रेषण की गयी राशि किन्तु राशि का संबंधित संभागों के अंतर्गत कोषालय में जमा नहीं होना।	**₹ 1,64,03,07,127 /-**
कोषालयों द्वारा राशि का संभागों के विरुद्ध जमा बताना जबकि संभागों द्वारा इस राशि का प्रेषण न बताया जाना	**₹ 18,03,09,080 /-**

चेक के संबंध में	
असमायोजन के कारण	राशि(रुपयों में)
संभागों द्वारा जारी धनादेश किन्तु कोषालयों के अनुसार उनका भुगतान न होना	**₹ 15,13,82,658 /-**
कोषालयों द्वारा धनादेश का भुगतान होना जबकि संभागों के अनुसार उनके द्वारा इनका जारी नहीं किया जाना।	**₹ 59,92,465 /-**

वर्ष के अंत में समान्यतः कोई अंतर न हो, इसके लिए कार्यपालन अभियंताओं को मासिक लेखे के प्रेषण शीर्षों में संकलित राशि का मिलान कोषालय के अभिलेखों से किया जाकर प्रतिमाह प्रपत्र **51** मासिक लेखों के साथ संलग्न किए जाने तथा **Annexure-E-I** एवं **E-II** में दर्शायी गई राशियों के समाशोधन हेतु दिशा-निर्देश जारी किया जावे ।

(10) **निर्माण लेखा प्रेषण शीर्ष में असमायोजित राशि ₹ 103.21 करोड़:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.3.1** के अनुसार संभागों द्वारा मासिक लेखों में लेखा शीर्ष **8782-102** में नामे तथा जमा की गई राशियों के मिलान कोषालय/बैंक से किया जाना चाहिए । परंतु संभाग द्वारा मिलान-कार्य नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2018-19 के अंत तक इस शीर्ष में समायोजन हेतु निवल राशि ₹ **103.21** करोड़ (जिसमे लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग भी शामिल है) लंबित है ।

लंबित राशियों के निराकरण हेतु इस कार्यालय द्वारा संभागों से निरंतर पत्राचार किया गया, परंतु संभागों द्वारा इनके समाधान हेतु कोई भी प्रामाणिक कदम/कार्यवाही नहीं की गई । समीक्षा में पाया गया कि संभागों द्वारा चालानों पर सही प्रेषण शीर्ष **8782-102** अंकित न करने से तथा चालानों पर डी. डी. ओ. कोड अंकित न होने से, कोषालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण से अंतर की राशि में निरंतर वृद्धि हो रही है । इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी संभागों को चालानों की जांच कर त्रुटिपूर्ण शीर्ष अंकित पाये जाने पर संबंधित कोषालयों के माध्यम से सुधार मांग पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु इस दिशा में संबंधितों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसे शासन के ध्यान में लाया जाता है।

(11) **निर्माण कार्य व्यय प्रपत्र-64:-**

केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता के पैरा **22.4.6** के अनुसार संभागों द्वारा निर्माण कार्य पर किए गए व्यय की जानकारी को प्रपत्र**-64** में सम्मिलित कर मासिक लेखों के साथ भेजा जाना चाहिए । प्रायः देखा गया है कि अधिकांश संभाग इसे यथा रूप से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं एवं संभागों द्वारा कई स्तंभों में जानकारी रिक्त छोड़ दी जाती हैं एवं प्रगामी व्यय में गत माह की प्रगामी व्यय की तुलना में विसंगति होती है । प्रपत्र में अपूर्ण प्रविष्टि के कारण कार्य विशेष आवंटन के विरुद्ध कितना व्यय किया गया एवं इसके वास्तविक आंकड़ें तथा कौन सा कार्य अपूर्ण है (Remarks Column No.10), दृष्टिगत नहीं होते । प्रपत्र**-64** में वांछित जानकारी की यथास्थिति नहीं होने के कारण प्रत्येक निर्माण कार्य / परियोजना पर कितना व्यय अधिक/कम हुआ, की समीक्षा नहीं हो पाती ।

निर्धारित प्रपत्र**-64** के समर्थन में कार्यों की अनुमानित लागत (Estimated Cost of Work), कार्य प्रारंभ करने का दिनांक (Year/Date of Commencement), कार्य समाप्ति का दिनांक (Year/Date of Completion), कार्य की भौतिक प्रगति (Physical Progress of Work), पुनरीक्षित लागत एवं पुनरीक्षण का दिनांक (Revised Cost and Date of Revision), मद क्रमांक (Budget Item No.), भुगतान हेतु बकाया राशि (Pending Payment) का कॉलम खोल कर प्रविष्टि करने हेतु सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश जारी करें, ताकि राज्य वित्त लेखे में अपूर्ण कार्यों की जानकारी को सम्मिलित किया सके।

भाग-दो (**लेखापरीक्षा**)

वर्ष 2018-19 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा संभागों की लेखापरीक्षा एवं स्थानीय स्तर पर वाउचर के निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण Annexure-F (Statement-I से Statement-III तक) में दर्शाया गया है।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा)

Annexure–A

OUTSTANDING MISCELLANEOUS PUBLIC WORKS ADVANCE AS ON 31.03.19

FORM-70

(Refer to Para 3)

(in Rs.)

Sl. no.	Name of Division	Account code	Balances of 2017-18	Balances of 2018-19
1.	E.E.PWD (N.H.) Raipur	030	22000021	22000021
2.	E.E.PWD (N.H.) Dn. Jagdalpur	032	5715143	5710143
3.	E.E.PWD(B/R) Dn.No. I, Raipur	033	60859747	60859608

4.	E.E.PWD(B/R) Dn. Mahasamund	035	8815735	9577954
5.	E.E.PWD(B/R) Dn. Dhamtari	036	8157581	8157581
6.	E.E.PWD(B/R) Rajnandgaon	041	363693	363963
7.	E.E.PWD(B/R) Jagdalpur	042	32782308	32782308
8.	E.E.PWD South Bastar Dn. Dantewada	043	3265836	3265836
9.	E.E.PWD(B/R) Dn. Kanker	044	19443858	19180282
10.	E.E.PWD(B/R) Dn. Bijapur	045	-	47096144
11	E.E.PWD(B/R) Dn. Kondagaon	046	13851286	13851286
12	E.E.PWD E/M Dn. Jagdalpur	047	983738	0
13	E.E.PWD (B/R) Bilaspur	048	75119371	75119371
14	E.E.PWD(B/R) Dn. Korba	049	43415599	43415599
15	E.E.PWD(B/R) Dn. Champa	050	2938551	2938551
16	E.E.PWD (E/M) Dn. Bilaspur	052	488224	488224
17	E.E.PWD(B/R) Dn. Raigarh	053	-	47091306
18	E.E.PWD (B/R) Dn. Jashpurnagar	054	12447530	12520898
19	E.E.PWD(B/R) Dn.Koria Manendragarh	057	10078155	10078155
20	E.E.PWD (B/R) Dn. Khairagarh	116	12771025	12771025
21	E.E.PWD (Setu) Dn. Raipur	140	12208253	12208253
22	E.E.PWD (B/R) Dn. Kawardha	146	10048943	10048943
23	E.E.PWD(N.H.) Dn. Ambikapur	148	1620806	1620806
Sl. no.	**Name of Division**	**Account code**	**Balances of 2017-18**	**Balances of 2018-19**
24	E.E.PWD(B/R) Dn. Balod	155	7329329	7329329
25	E.E.PWD Vidhansabha Dn. Raipur	157	11045852	11245852
26	E.E.PWD (N.H.) Dn. Bilaspur	158	703	703
27	E.E.PWD (B/R) Dn. Bemetara	160	8914326	8914326
28	E.E.PWD(B/R)-03 Raipur	161	83028741	83028741
29	E.E.PWD(B/R)-01 Ambikapur	162	10767886	10767886

30	E.E.PWD (B/R) Dn. Ramanujganj	163	13005523	13005523
31	E.E.PWD (Setu) Dn. Ambikapur	164	2293988	2293988
32	E.E.PWD(B/R) Dn. Baloda Bazar	165	-	40019853
33	E.E.PWD(B/R) Dn. Bhanupratapur	167	1070545	1070545
34	E.E.PWD (Setu) Dn.Rajnandgaon	168	2962005	2962005
35	E.E.PWD (Setu) Dn. Raigarh	169	16869406	16869406
36	E.E.PWD(B/R)Dn.No.2, Mungeli	170	20000	20000
37	E.E.PWD (B/R) Dn. Pathhalgaon	172	122440	122440
38	E.E.PWD (B/R) Dn. Surajpur	174	743356	743356
39	E.E.PWD (B/R) Dn. Sukma	175	18486	18486
40	E.E.PWD (B/R) Bhanupratapur, Kanker	176	566750	566750
41	E.E.PWD(B/R) Dn. Gariyaband	177	9534886	9513290
42	E.E.PWD (B/R) Dn. Narayanpur	178	858901	858901
TOTAL			**52,65,28,526**	**66,04,97,637**

Annexure-B

OUTSTANDING BALANCE OF MATERIAL PURCHASE SETTLEMENT SUSPENSE ACCOUNT

FORM-69

As on 31.03.2019

(Refer to Para 4)

(in Rs.)

Sl.No.	Name of Division	Account	Balances of 2017-18	Balances of 2018-19

		code		
1.	E.E.PWD (N.H.) Raipur	030	34132836	34132836
2.	E.E.PWD (N.H.) Jagdalpur	032	-	189323
3.	E.E.PWD(B/R) Dn.No.I,Raipur	033	64997679	64997679
4.	E.E.PWD(B/R) Dn. Mahasamund	035	11527617	11527617
5.	E.E.PWD(B/R) Dhamtari	036	2474900	2474900
6.	E.E.PWD E/M Raipur	037	1063920	1063920
7.	E.E.PWD(B/R)Dn. Durg	038	6162813	6162813
8.	E.E.PWD(B/R) Dn. Rajnandgaon	041	15097146	15097146
9.	E.E.PWD South Bastar Dn. Dantewada	043	9950192	9950912
10.	E.E.PWD(B/R) Bijapur	045	-	633402
11.	E.E.PWD(B/R) Dn. Kondagaon	046	19489297	19489297
12.	E.E.PWD(B/R) Dn. Bilaspur	048	34275928	34275928
13.	E.E.PWD E/M Bilaspur	052	2961696	0
14.	E.E.PWD(B/R) Raigarh	053	-	24413929
15.	E.E.PWD(B/R) Jashpur	054	-	11400204
16.	E.E.PWD(B/R) Dn.Koria Manendragarh	057	9347748	9347748
17.	E.E.PWD (B/R) Dn. Khairagarh	116	26675582	26675582
18.	E.E.PWD Bridge Raipur	140	-	806836
19.	E.E.PWD(B/R)Dn. Balod	155	10936192	10936192
20.	E.E.PWD (B/R) Dn. Ramanujganj	163	158755	158755
		Total	**24,92,52,301**	**28,37,35,019**

Annexure-C

LIST OF LATE SUBMITTED MONTHLY ACCOUNTS DURING THE YEAR 2018-19

(Refer to Para-7)

Sl. No.	Name of Division	Account code	Month	Delay in days
1.	E.E.PWD NH Raipur	**030**	10/18	02
			01/19	01
3.	E.E.PWD NH Jagdalpur	**032**	06/18	03
			10/18	02
			11/18	01

			01/19	03
			02/19	02
8.	E.E.PWD B/R Mahasamund	**035**	10/18	02
			02/19	01
10.	E.E.PWD B/R Dhamtari	**036**	10/18	02
11.	E.E.PWD (B/R) Durg	**038**	10/18	03
12.	E.E.PWD B/R Rajnandgaon	**041**	10/18	02
13.	E.E.PWD (B/R) Jagdalpur	**042**	10/18	05
			11/18	01
			02/19	01
8.	E.E.PWD (B/R) Dantewada	**043**	08/18	01
			10/18	07
			01/19	01
			02/19	02
			03/19	03
9.	E.E.PWD (B/R) Kanker	**044**	08/18	01
			09/18	01
			10/18	04
			01/19	01
			02/19	01
10.	E.E.PWD West Bastar Bijapur	**045**	04/18	01
			06/18	07
			08/18	04
			09/18	05
			10/18	06
			11/18	01
			12/18	05
			01/19	03
11.	E.E.PWD (B/R) Kondagaon	**046**	09/18	01
			10/18	04
			01/19	03
			02/19	02

Sl. No.	**Name of Division**	**Account code**	**Month**	**Delay in days**
12.	E.E.PWD (E/M) Jagdalpur	**047**	10/18	03
			01/19	01
13.	E.E.PWD(B/R) Dn.- 01 Bilaspur	**048**	04/18	01
			05/18	02
			06/18	01
			08/18	02
			09/18	01
			10/18	03
			11/18	01
			01/19	02

			02/19	04
			03/19	05
14.	E.E.PWD (B/R) Champa	**050**	10/18	02
			01/19	01
			02/19	01
15.	E.E.PWD (B/R) Pendra Road	**051**	10/18	03
16.	E.E.PWD (B/R) Raigarh	**053**	05/18	02
			06/18	02
			10/18	02
			11/18	01
			12/18	05
			02/19	03
17.	E.E.PWD (B/R) Jashpur	**054**	04/18	01
			05/18	01
			06/18	01
			08/18	02
			09/18	02
			10/18	07
			11/18	03
			01/19	04
			02/19	02
18.	E.E.PWD (B/R) Koria Manendragarh	**057**	06/18	01
			09/18	01
			10/18	02
			11/18	03
			12/18	05
			01/19	03
			02/19	02
			03/19	02
19.	E.E.PWD (B/R) Khairagarh	**116**	05/18	01
			06/18	01
			08/18	01
			10/18	06
			11/18	01
Sl. No.	**Name of Division**	**Account code**	**Month**	**Delay in days**
67.	E.E.PWD Bridge Jagdalpur	**139**	01/19	03
			02/19	02
			03/19	02
70.	E.E.PWD Bridge Raipur	**140**	10/18	02
71.	E.E.PWD (B/R) Kawardha	**146**	04/18	04
			01/19	01
			02/19	01
74.	E.E.PWD (NH) Ambikapur	**148**	05/18	03
			06/18	03

			07/18	11
			08/18	02
			09/18	05
			10/18	09
			11/18	03
			01/19	02
			02/19	08
			03/19	02
84.	E.E.PWD (B/R) Balod	**155**	05/18	02
			02/19	01
86.	E.E.PWD (B/R) Vidhansabha	**157**	10/18	03
87.	E.E.PWD (B/R) Ramanujganj	**163**	05/18	01
88.	E.E.PWD Bridge Ambikapur	**164**	10/18	02
			12/18	02
			02/19	02
91.	E.E.PWD B/R Baloda Bazar	**165**	03/19	02
92.	E.E.PWD E/M Durg	**166**	07/18	06
			02/19	01
94.	E.E.PWD (B/R) Bhanupratapur	**167**	09/18	01
95.	E.E.PWD Bridge Rajnandgaon	**168**	10/18	02
96.	E.E.PWD Bridge Raigarh	**169**	10/18	02
97.	E.E.PWD (B/R) Mungeli	**170**	06/18	01
			10/18	03
			01/19	03
100.	E.E.PWD B/R Jagdalpur No-02	**171**	05/18	11
			07/18	07
			09/18	05
			10/18	04
			11/18	02
			01/19	08
			02/19	04

Sl. No.	**Name of Division**	**Account code**	**Month**	**Delay in days**
107.	E.E.PWD (B/R) Patthalgaon	**172**	04/18	01
			05/18	01
			08/18	02
			10/18	06
			12/18	01
			01/19	02
			02/19	02
			03/19	02

115.	E.E.PWD E/M Ambikapur	**173**	07/18	04
			08/18	02
			10/18	03
			11/18	02
			02/19	02
120.	E.E.PWD (B/R) Surajpur	**174**	08/18	01
			10/18	02
			11/18	03
			01/19	05
124.	E.E.PWD (B/R) Sukma	**175**	05/18	01
			06/18	01
			10/18	05
			11/18	01
			01/19	03
			02/19	01
130.	E.E.PWD (B/R)-02 Raipur	**176**	10/18	03
			02/19	01
132.	E.E.PWD (B/R) Narayanpur	**178**	06/18	01
			07/18	04
			09/18	02
			02/19	02
136.	E.E.PWD ADB Proj. Raipur	**179**	10/18	07
137.	E.E.PWD ADB Proj. Bilaspur	**180**	10/18	02
138.	E.E.PWD ADB Proj. Baloda Bazar	**182**	06/18	01
			11/18	01
32.	E.E.PWD NH Sukma	**183**	05/18	02
			07/18	07
			08/18	01
			10/18	02
			11/18	01
			02/19	02

Sl. No.	Name of Division	Account code	Month	Delay in days
145.	E.E.PWD (B/R) No.02 Bilaspur	**184**	04/18	01
			11/18	03
33.	E.E.PWD (B/R) CG Bhawan New Delhi	**185**	05/18	11
			0718	07
			08/18	04
			09/18	12
			10/18	03

			11/18	11
			12/18	05
			01/19	03

Annexure-D

LIST OF DIVISIONS FROM WHERE FORM-51 IS AWAITED AS ON 31.03.2019

(Refer to Para 9)

Sl. No.	Name of the Division	Account code	Period	Pending Months

1.	E.E.PWD (N.H.) Dn. Raipur	030	04/18 to 3/19	12
2.	E.E.PWD (N.H.) Dn. Jagdalpur	032	04/18 to 3/19	12
3.	E.E.PWD(B/R) Dn. Mahasamund	035	04/18 to 3/19	12
4.	E.E.PWD(E/M) Dn. Raipur	037	04/18 to 3/19	12
5.	E.E.PWD(B/R) Dn. Durg	038	04/18 to 3/19	12
6.	E.E.PWD B/R Dantewada	043	04/18 to 3/19	12
7.	E.E.PWD B/R Bijapur	045	04/18 to 3/19	12
8.	E.E.PWD E/M Jagdalpur	047	04/18 to 3/19	12
9.	E.E.PWD B/R-01 Bilaspur	048	04/18 to 3/19	12
10.	E.E.PWD(B/R) Dn. Pendra Road	051	04/18 to 3/19	12
11.	E.E.PWD E/M Bilaspur	052	04/18 to 3/19	12
12.	E.E.PWD(B/R) Dn. Raigarh	053	09/18 to 3/19	07
13.	E.E.PWD (B/R) Jashpur	054	03/19	01
14.	E.E.PWD(B/R) Dn. Korea	057	04/18 to 3/19	12
15.	E.E.PWD Bridge Dn. Raipur	140	12/18 to 03/19	04
16.	E.E.PWD(N.H.) Dn. Ambikapur	148	04/18 to 03/19	12
17.	E.E.PWD (B/R) Balod	155	04/18 to 03/19	12
18.	E.E.PWD (NH) Bilaspur	158	04/18 to 03/19	12
19.	E.E.PWD(B/R) Dn. Bhanupratappur	167	04/18 to 03/19	12
20.	E.E.PWD(B/R) Jagdalpur-02	171	04/18 to 03/19	12
21.	E.E.PWD(B/R) Pathalgaon	172	04/18 to 03/19	12
22.	E.E.PWD(E/M)Dn. Ambikapur	173	04/18 to 03/19	12
23.	E.E.PWD ADB Project Raipur	179	04/18 to 03/19	12
24.	E.E.PWD ADB Proj Baloda Bazar	182	04/18 to 03/19	12
25.	E.E.PWD NH Dn. Sukma	183	06/18 to 03/19	10
26.	E.E.PWD (B/R) Dn.-02 Bilaspur	184	07/18 to 03/19	09
27.	E.E.PWD (B/R) Dn., New Delhi	185	04/18 to 03/19	12

Annexure-E I

DIVISION WISE LIST OF NET UNADJUSTED AMOUNT OF FORM-51

(AS ON 31.03.2019)

(Refer to Para-9)

(in Rs.)

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Amount Remitted by	Amount Acknowledge	Amount Remitted by	Amount Acknowled

			Division but not acknowledged by Treasury	d by Treasury but not remitted by Division	Division but not acknowledged by Treasury	ged by Treasury but not remitted by Division
			2017-18		**2018-19**	
1.	E.E.PWD(B/R)-01 Raipur	033	18100	1993000	-	-
2.	E.E.PWD(B/R) Dhamtari	036	26223986	0	10000000	0
3.	E.E.PWD(B/R) Dn. Rajnandgaon	041	12197876	0	401888	0
4.	E.E.PWD (B/R) North Bastar-01 Jagdalpur	042	79104671	2988113	20943317	11133390
5.	E.E.PWD(B/R) Kanker	044	61349764	6920020	1242899	15013256
6.	E.E.PWD(B/R) Kondagaon	046	-	-	0	0
7.	E.E.PWD(B/R) Bilaspur	048	8483760	74042758	-	-
8.	E.E.PWD(B/R) Korba	049	-	-	9962485	50150
9.	E.E.PWD (B/R) Champa	050	38694251	100000	3552940	0
10.	E.E.PWD (E/M) Bilaspur	052	4359251	36346254	-	-
11.	E.E.PWD (B/R) Jashpur	054	8150498	45947570	-	-
12.	E.E.PWD(B/R) Khairagarh	116	-	-	1100048	192952
13.	E.E.PWD Bridge Dn. Bilaspur	137	24004	29518	26250	8688
14.	E.E.PWD Bridge Dn. Jagdalpur	139	-	-	0	0

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Amount Remitted by Division but not acknowledged by Treasury	Amount Acknowled-ged by Treasury but not remitted by Division	Amount Remitted by Division but not acknowledged by	Amount Acknowled-ged by Treasury but not remitted by

					Treasury	Division
			2017-18		2018-19	
15.	E.E.PWD Bridge Dn. Raipur	140	0	7274	-	-
16.	E.E.PWD (B/R) Kabirdham	146	64730425	140	12578105	0
17.	E.E.PWD (B/R) Balod	155	155765	3128870	-	-
18.	E.E.PWD Vidhansabha Raipur	157	633220	108120620	32095	3627000
19.	E.E.PWD NH Bilaspur	158	9261	0	-	-
20	E.E.PWD (B/R) Bemetera	160	3710850	600000	4240000	3000
21	E.E.PWD (B/R)-03 Raipur	161	-	-	1415397086	0
22	E.E.PWD(B/R)Dn. No.2, Ambikapur	162	12000000	115500394	49327	83092500
23	E.E.PWD (B/R) Ramanujganj	163	62866795	72052072	7638600	6832500
24	E.E.PWD Bridge Dn. Ambikapur	164	-	-	11728751	9820
25	E.E.PWD B/R Baloda Bazar	165	-	-	12046731	124465
26	E.E.PWD E/M Durg	166	-	-	9297375	362900
27	E.E.PWD Bridge Dn. Rajnandgaon	168	-	-	0	0
28	E.E.PWD Bridge Dn. Raigarh	169	-	-	85406120	49792751
29	E.E.PWD Dn-2 Mungeli	170	9616030	8000000	9226150	2007750
30	E.E.PWD(B/R) Mungeli	171	21932946	66310850	-	-
31	E.E.PWD(B/R) Surajpur	174	48622784	24643536	16117400	2300

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Amount Remitted by Division but not acknowled- ged by	Amount Acknowled- ged by Treasury but not remitted by Division	Amount Remitted by Division but not acknowledg ed by	Amount Acknowled- ged by Treasury but not remitted by

			Treasury		Treasury	Division
			2017-18		2018-19	
32	E.E.PWD(B/R) Sukma	175	2128001	14606900	3300	4500
33	E.E.PWD(B/R)-2 Raipur	176	87705	3633906	-	-
34	E.E.PWD(B/R) Gariyaband	177	-	-	9073760	51158
35	E.E.PWD (B/R) Dn. Narayanpur	178	19433600	67376756	242500	8000000
36	ADB Project Bilaspur	180	0	0	0	0
37	ADB Project Rajnandgaon	181	-	-	0	0
TOTAL			**484533543**	**652348551**	**1640307127**	**180309080**

टीप:- जिस संभाग से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, उसे सम्मिलित नहीं किया गया है।

Annexure-E II

DIVISION WISE LIST OF NET UNADJUSTED AMOUNT OF FORM-51

(As_on_31.03.2019)

(Refer to Para-9)

(in Rs.)

Sr. No.	DIVISION NAME	Div. No.	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division	Cheque issued by Division but not cleared at Treasury	Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division

			2017-18		2018-19	
1.	E.E.PWD(B/R) Dn-01 Raipur	033	1582826	8340	-	-
2.	E.E.PWD(B/R) Dhamtari	036	598583	0	72394	0
3.	E.E.PWD(B/R) Dn. Rajnandgaon	041	41366	0	43668	0
4.	E.E.PWD (B/R) North Bastar-01 Jagdalpur	042	384815	0	70330	0
5.	E.E.PWD(B/R) Kanker	044	1073109	0	75125	0
6.	E.E.PWD(B/R) Kondagaon	046	-	-	80073	0
7.	E.E.PWD(B/R) Bilaspur	048	7948712	0	-	-
8.	E.E.PWD(B/R) Korba	049	-	-	300615	0
9.	E.E.PWD (B/R) Champa	050	97997987	94272644	2114846	918048
10.	E.E.PWD (E/M) Bilaspur	052	2365550	0	-	-
11.	E.E.PWD (B/R) Jashpur	054	72128	0	-	-
12.	E.E.PWD(B/R) Khairagarh	116	-	-	0	0
13.	E.E.PWD Bridge Dn. Bilaspur	137	186988	0	2440300	1309599
14.	E.E.PWD Bridge Jagdalpur	139	-	-	0	0
15.	E.E.PWD Bridge Dn. Raipur	140	3750	0	-	-
16.	E.E.PWD (B/R) Kabirdham	146	641000	0	10000	0
Sr. No.	**DIVISION NAME**	**Div. No.**	**Cheque issued by Division but not cleared at Treasury**	**Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division**	**Cheque issued by Division but not cleared at Treasury**	**Amount paid by Treasury but cheque not issued by Division**
			2017-18		**2018-19**	
17.	E.E.PWD (B/R) Balod	155	38125	0	-	-
18.	E.E.PWD Vidhansabha Raipur	157	1288568	0	52555	0
19.	E.E.PWD NH Bilaspur	158	173798	0	-	-
20.	E.E.PWD (B/R)	160	272420	0	123790	0

	Bemetera					
21.	E.E.PWD (B/R)-03 Raipur	161	-	-	30436000	1359225
22.	E.E.PWD(B/R)Dn. No.2, Ambikapur	162	1380265	500952	0	0
23	E.E.PWD(B/R) Ramanujganj	163	129161	0	221861	0
24	E.E.PWD Bridge Dn. Ambikapur	164	-	-	51556	0
25	E.E.PWD (B/R) Baloda Bazar	165	-	-	3567212	2169548
26	E.E.PWD E/M Durg	166	-	-	2136938	0
27	E.E.PWD Bridge Rajnandgaon	168	-	-	1501192	0
28	E.E.PWD Bridge Raigarh	169	-	-	39148001	236045
29	E.E.PWD-02 Mungeli	170	9089	0	23213	0
30	E.E.PWD(B/R) Mungeli	171	940135	0	-	-
31	E.E.PWD(B/R) Surajpur	174	28670	0	37382	0
32	E.E.PWD(B/R)Sukma	175	1096368	0	13106742	0
33	E.E.PWD(B/R)-2 Raipur	176	5392294	0	-	-
34	E.E.PWD (B/R) Gariyaband	177	-	-	32758	0
35	E.E.PWD (B/R) Dn. Narayanpur	178	0	0	46170402	0
36	ADB Project Bilaspur	180	6261639	0	9565705	0
37	ADB Rajnandgaon	181	-	-	0	0
TOTAL			**129907346**	**94781936**	**151382658**	**5992465**

टीप:- जिस संभाग से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, उसे सम्मिलित नहीं किया गया है।

Annexure-F

Statement-I

Common types of irregularities noticed in Central Audit on Works Divisions (PWD)

क्रं सं	कार्यालय का नाम	विषय	राशि	जावक क्रं. एवं दिनांक	रिमार्क
1.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,सेतु	टैक्स राशि को शासकीय खाते में जमा नही करना ।	रु 84186084/-	24 / 06.12.2018	उत्तर अपेक्षित है

	निर्माण संभाग, बिलासपुर				
2.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर	मासिक लेखे में फॉर्म क्रमांक 32, 70 ए , 77 ए एवं 57 का न होना।	-	25 / 07.12.2018	उत्तर अपेक्षित है
3	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग,सेतु निर्माण संभाग, रायपुर	टैक्स राशि को शासकीय खाते में जमा नही करना ।	रु 120579955/-	38 / 25.01.2019	उत्तर अपेक्षित है
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग-01, रायपुर	टैक्स राशि को शासकीय खाते में जमा नही करना।	रु 588040030/-	54 / 28.03.2019	उत्तर अपेक्षित है
5	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ /प) संभाग, भानुप्रतापपुर	टैक्स राशि को शासकीय खाते में जमा नही करना।	रु 30247200/-	56 / 29.03.2019	उत्तर अपेक्षित है